न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/283

1. मंगीलाल आत्मज स्व0 किशन जी उर्फ किशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. कुंज बिहारी
3. रामेश्वर दयाल
4. रघुनन्दन आत्मज श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

कुंज बिहारी आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 756 रकबा 0.13 हैक्टर वाके ग्राम निमोठा में स्थित है । इस भूमि के दक्षिण साईड में प्रतिवादी के खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.20 हैक्टर स्थित है । वादी की खातेदारी की उत भूमि आराजी खसरा नम्बर 751, 756 की दक्षिणी साईड पर दिनांक 17.10.2002 को 3 गठ्ठे भूमि पूर्व से पश्चिम पर अतिक्रमण कर लिया और प्रतिवादीगण ने अपने खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 750 की उत्तरी मेर में पूर्व से पश्चिम लम्बी पटरी अपने खाते में मिला दी जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

[का वाद] डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 751, 756 की [...] पूर्व से पश्चिम 03 गट्ठे लम्बी भूमि पर जो अतिक्रमण कर रखा है उससे बेदखल [किया जाकर] कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदाखलत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.05.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करने का निर्णय पारित कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदाखलत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हो । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं था । प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी अपीलान्ट से जवाबदावा भी प्राप्त नहीं किया था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह कन्डीसनल पारित किया है और वादग्रस्त आराजी का माप करने के पश्चात् बेदखल करने का आदेश पारित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसमें अपीलान्ट उपस्थित नहीं था । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट सहमत नहीं था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.05.2015 निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा